



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226501
CG-DL-E-10042021-226501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1433]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943

No. 1433]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

का.आ. 1544(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 05 फरवरी, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 569(अ) तारीख 04 फरवरी, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् हिन्दुस्तान और दैनिक जागरण तारीख 09 फरवरी, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए बुलन्दशहर जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृति	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	सिकन्द्राबाद	बबैया	निजी	कृषि	64	0.1162	प्रतीक देव पुत्र राजवीर सिंह व हेमन्त लोहिया पुत्र जिले सिंह व मनीष कुमार पुत्र रामपाल सिंह व कौशिकी वाजपेयी पुत्री मनोज वाजपेयी व साहब सिंह पुत्र चरन सिंह व जयकिशन पुत्र साहब सिंह।
			निजी	कृषि	66	0.0682	सत्यवीर पुत्र बालचंद व श्रीमती पालो पत्नी स्व० तेजवीर व कृष्ण व लीलाराम पुत्रगण तेजवीर।
2	सिकन्द्राबाद	भौरा	निजी	कृषि	497	0.0380	मेघराज पुत्र बाबू।
3	सिकन्द्राबाद	अरौडा	निजी	कृषि	6	0.0180	सत्यवीर सिंह व जगत सिंह पुत्रगण विजयपाल।
			निजी	कृषि	2	0.0015	शैलेन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह व फूलवती पत्नी स्व० तारा सिंह।
4	सिकन्द्राबाद	सलौनी उर्फ रौनी	निजी	कृषि	138	0.0620	धर्मवीर पुत्र नेतराम व शान्ती पत्नी स्व० नेतराम व भूपेन्द्र व कोमल व नीरज व बालस्वरूप उर्फ बन्टी पुत्रगण भगवत व सर्वेश देवी पत्नी स्व० भगवत।
			निजी	कृषि	140	0.0240	रामपाल व सतपाल पुत्रगण फूल सिंह।
			निजी	कृषि	146	0.0210	महेन्द्र सिंह व राजेन्द्र सिंह व रविन्द्र सिंह व यतेन्द्र सिंह पुत्रगण बुद्ध सिंह।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2143]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टेटि.)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2021

S.O. 1544(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 569 (E), dated the 4th February, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th February, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan and Dainik Jagran, dated the 09th February, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received and the same has been considered by the competent authority, accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh.

Sr. No.	Name of Tehsil	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Plot No.	Area (in hect.)	Name of Owners/Holders
1	Sikandrabad	Babiya	Private	Agriculture	64	0.1162	Pritek Dev s/o Rajveer, Hemant Lohiya s/o Jile Singh, Manish Kumar s/o Rampal Singh, Koshiki Bajpayi d/o Manoj Bajpayi, Sahab Singh s/o Charan Singh, Jaikishan s/o Sahab Singh.
			Private	Agriculture	66	0.0682	Satveer s/o Balchand, Smt Palo w/o late Tajveer, Krishan Kumar, Leeleram s/o Tejveer.
2	Sikandrabad	Bhaura	Private	Agriculture	497	0.0380	Meghraj s/o Babu.
3	Sikandrabad	Arora	Private	Agriculture	6	0.0180	Satyveer Singh, Jagat Singh s/o Vijaypal.
			Private	Agriculture	2	0.0015	Shalender Singh s/o Tara Singh, Smt Phulwati w/o Late Tara Singh.
4	Sikandrabad	Saloni urf Roni	Private	Agriculture	138	0.0620	Dharmveer s/o Netram, Smt Shanti w/o Netram, Bhupender, Komal, Neeraj, Balswroop urf Banti s/o Bhagwat, Sarvesh Devi w/o Bhagwat.

			Private	Agriculture	140	0.0240	Rampal, Satpal s/o Phul Singh.
			Private	Agriculture	146	0.0210	Mahender Singh, Rajender Singh, Ravinder Singh, Yatender Singh s/o Budh Singh.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2143]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)